

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 108 / 2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958
उनवान

- 1- गणिया पुत्री श्री देबी खटीक निवासी सुरजनगर तह0 शाहपुरा
- 2- श्री दीपक पुत्र देबी खटीक निवासी सुरजनगर तह0 शाहपुरा
- 3- श्रीमति बदाम देवी पत्नी देबी खटीक निवासी सुरजनगर तह0 शाहपुरा
- 4-5 सुमन, सुशीला पुत्री श्री देबी खटीक निवासी सुरजनगर तह0 शाहपुरा

- प्रार्थीगण

श्री रामलाल पुत्र श्री पोखर गुर्जर निवासी घागडा का खेडा तह0 शाहपुरा
2- श्री खानादास पुत्र श्री प्रतापदास साधु (वैष्णव) निवासी घागडा का खेडा तह0 शाहपुरा

बनाम

उपस्थिति :- श्री अक्षयराज रेबारी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

- विपक्षीगण

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 7/10/2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम लुलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1376 रकबा 0.46 है0 कुल किता 1 रकबा 0.46 हैक्टयर हैक्टयर का प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त भूमि क विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आय दिना सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम लुलास संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा लुलास में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.46 हैक्टयर हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधेन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 100/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी
पञ्चण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
महायुक्त हैक्टयर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
राजपुर (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।



उपखण्ड अधिकारी
पञ्चण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
राजपुर (भीलवाड़ा)